



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28022026-270592
CG-MH-E-28022026-270592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 983]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 983]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 12 फरवरी, 2026

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 5816 दिनांक 26 दिसंबर 2025 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 1027(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 सितम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4254(अ) तारीख 22 सितम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् " देवलाली स्टेशन - कुंभ मेला 2027 के लिए सी एंड डब्ल्यू परीक्षण और स्टैंडलिंग सुविधाओं का प्रावधान " की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी सहायक जिल्हाधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी , नाशिक दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात "दैनिक आपल महानगर (इंग्रजी) में तारीख ०१/१०/२०२५", एवं "दैनिक साईमत (मराठी)) में तारीख ३०/०९/२०२५" को प्रकाशित किया गया था ।

और, इस गांव में आक्षेप प्राप्त हुए हे। उक्त अधिसूचना पर प्रभावित खाताधारकों की आपतियाँ समय सीमा के उपरान्त प्राप्त हुई हैं। प्राप्त उक्त आपतियाँ पर सक्षम प्राधिकारी विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी सहायक जिल्हाधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी, नाशिक द्वारा दि.19/11/2025 को सुनवाई आयोजित की गई थी। इसलिए, स्तर निहाय कारवाई की गई है और खाताधारकों की मांग अस्विकार कर ली गई है।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करदी है ।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के अंतर्गत भगुर गाँव का विशेष रेल परियोजना “ देवलाती स्टेशन - कुंभ मेला 2027 के लिए सी एंड डब्ल्यू परीक्षण और स्टैबलिंग सुविधाओं का प्रावधान ” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण ।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रस्ताव क्र.	गावाचे नाव	उप विभाग	७/१२ नुसार जमीनधारकांचे नाव	सर्वेक्षण/ गट क्रमांक	जमीन भाडेपट्टा प्रणाली	एकूण क्षेत्रफल ७/१२ (हेक्टर) नुसार	संपादित होणारी जमीन क्षेत्र (हे.आर)	बोअर/ विहीर	बांधकाम	झाडे
१	०८/२०२५	भगुर	नाशिक	श्री.गटलु चिमा, श्री.कचरू भिमा, श्री.दौलत धोंडीराम, दगडू होन्या महार, हिरू हरी मल्हार, भास्कर पूना साळवे, काशिबाई पुना साळवे, दगडु संभाजी गायकवाड, बबन नथु साळवे, मुरलीधर मोगल साळवे, सतिष मोगल साळवे अ.पा.क आई भिकुबाई, विमल मोगल साळवे, भिकुबाई मोगल साळवे, सुनंदा सुरेश भालेराव, सुनिल लक्ष्मण साळवे, अनिल लक्ष्मण साळवे, रमेश लक्ष्मण साळवे, शोभा शरद दाणी,	२४/१	२	०.६२	०.१०	-	इमारत-२	-

अ. क्र.	भूसंपादन प्रस्ताव क्र.	गावाचे नाव	उप विभाग	७/१२ नुसार जमीनधारकांचे नाव	सर्वेक्षण/ गट क्रमांक	जमीन भाडेपट्टा प्रणाली	एकूण क्षेत्रफळ ७/१२ (हेक्टर) नुसार	संपादित होणारी जमीन क्षेत्र (हे.आर)	बोअर/ विहीर	बांधकाम	झाडे
				प्रमोद लक्ष्मण साळवे, रेखा रविंद्र बर्वे, शालिनी मुकुंदा भालेराव, भाऊराव दामु भालेराव, चिमण दामोदर, देविदास आई दामोदर अपाक भाउराव, शोभा दामोदर अपाक भाउराव दामोदर, पार्वताबाई गबाजी साळवे, श्रीधर गबाजी साळवे, हिराबाई दयाराम भालेराव, विष्णु दयाराम भालेराव, सोमनाथ दयाराम भालेराव, विलास दयाराम भालेराव, मंदाकिनी प्रभाकर शेजवळ, भारती सुरेश साळवे, वर्षा नरेद्र गायकवाड, मनिषा सचिन बनसोडे, राहुल सुरेश साळवे, समिर सुरेश साळवे, निलेश देविदास साळवे, मंगला देविदास साळवे, महेश देविदास साळवे, आकाश देविदास साळवे, छबुबाई उर्फ बेबीबाई वसंत साळवे, भास्कर सखाराम साळवे, वनिता विकास पगारे, वैशाली अमोल पगारे, शोभा प्रभाकर दिवेकर, संगिता वसंत पगारे, किरण वसंत साळवे, इ.अधिकार अनुसया दामु काळे, इंदु पोपट पवार, कमल श्रीधर साळवे, बबनबाई श्रीधर भवर, विमल श्रीधर जाधव, शांताबाई नथु पवार							
२	०८/२०२५	भगुर	नाशिक	श्री.राकेश चंदर सैगल डिंपल राकेश सैगल	१३	१	१.८२	०.४७	-	-	चिकु-१५, नारळ-०५, रामफळ-०२, शेवगा-०१
एकूण							२.४४ हे.आर	०.५७ हे.आर			

[फा. सं. G197/Nashik Kumbh 2027/Bhagur-Devlali/20E/Corrigendum]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS
(Central Railway)**

CORRIGENDUM

Mumbai, the 12th February, 2026

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO.5816 DATED 26 DECEMBER 2025, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1027(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4254 (E) dated 22th September 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, “ **Devlali - Provision of C&W examination and stabling facilities for Kumbh Mela 2027** ” **District Nashik** in the State of **Maharashtra**, in the district of **Nashik** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO/SDO NASHIK **daily newspapers namely “Dainik Aapla Mahanagar (English)” & “Dainik Saimat (Marathi)”** Dated 01-10-2025 & 30-09-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And objections have been received in this village. The objections of the affected account holders on the said notification have been received within the time limit. Hearing on the said objections received was conducted by the competent authority Assistant Collector & Sub-Divisional Officer, Nashik on 19/11/2025. Therefore, stage-wise action has been taken and the demand of the account holders has been accepted

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Devlali - Provision of C&W examination and stabling facilities for Kumbh Mela 2027” for Bhagur village in the District Nashik in the State of Maharashtra.

S. N.	Land Acquisition Proposal No.	Name of Village	Sub Division	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No./ Gatt No.	Land Type	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Borewell/ Tubewell	Construction/ Structure	Trees
1	08/2025	Bhagur	Nashik	Mr. Gatlu Chima, Mr. Kachru Bhima, Mr. Daulat Dhondiram, Dagdu Honya Mahar, Hiru Hari Malhar, Bhaskar Poona Salve, Kashibai Poona Salve,	24/1	2	0.62	0.10	-	Building-2	-

S. N.	Land Acquisition Proposal No.	Name of Village	Sub Division	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No./ Gatt No.	Land Type	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Borewell/ Tubewell	Construction/ Structure	Trees
				Dagdu Sambhaji Gaikwad, Baban Nathu Salve, Muralidhar Mogal Salve, Satish Mogal Salve A.P.A.K mother Bhikubai, Vimal Mogal Salve, Bhikubai Mogal Salve, Sunanda Suresh Bhalerao, Sunil Laxman Salve, Anil Laxman Salve, Ramesh Laxman Salve, Shobha Sharad Dani, Pramod Laxman Salve, Rekha Ravindra Barve, Shalini Mukunda Bhalerao, Bhaurao Damu Bhalerao, Chiman Damodar, Devidas mother Damodar Apak Bhaurao, Shobha Damodar Apk Bhaurao Damodar, Parvatabai Gabaji Salve, Shridhar Gabaji Salve, Hirabai Dayaram Bhalerao, Vishnu Dayaram Bhalerao, Somnath Dayaram Bhalerao, Vilas Dayaram Bhalerao, Mandakini Prabhakar Shejwal, Bharti Suresh Salve, Varsha Narendra Gaikwad, Manisha Sachin							

S. N.	Land Acquisition Proposal No.	Name of Village	Sub Division	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No./ Gatt No.	Land Type	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Borewell/ Tubewell	Construction/ Structure	Trees
				Bansode, Rahul Suresh Salve, Sameer Suresh Salve, Nilesh Devidas Salve, Mangala Devidas Salve, Mahesh Devidas Salve, Akash Devidas Salve, Chhabubai /Babybai Vasant Salve, Bhaskar Sakharam Salve, Vanita Vikas Pagare, Vaishali Amol Pagare, Shobha Prabhakar Divekar, Sangita Vasant Pagare, Kiran Vasant Salve, Others Rights Anusya Damu Kale, Indu Popat Pawar, Kamal Sridhar Salve, Babanbai Sridhar Bhawar, Vimal Sridhar Jadhav, Shantabai Nathu Pawar							
2	08/2025	Bhagur	Nashik	Mr. Rakesh Chander Saigal, Dimple Rakesh Saigal	13	1	1.82	0.47	-	-	Chikku-15, Coconut-05, Custard apple-02 Drumstick-01
				Total			2.44 (Ha.)	0.57 (Ha.)			

[F. No. G197/Nashik Kumbh 2027/Bhagur-Devlali/20E/Corrigendum]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)